

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र/420/समग्र शिक्षा/स्पे.एजु./2025-26

बिलासपुर, दिनांक 16-7-2025

//विज्ञापन//

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0, का पत्र क्र0/1518/24/193 /पीएमश्री/स्पे एजुकेटर/.2026-27 रायपुर दिनांक 06/07/2026 द्वारा अंशकालिक स्पेशल एजुकेटर का (31 मार्च 2027) तक के लिए पीएमश्री विद्यालय में सेवाएं लेने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 27/07/2026 तक आमंत्रित किया जाना है। उक्त पत्र अनुसार निम्नांकित पीएमश्री विद्यालय में निम्नानुसार पद स्वीकृत है:-

क्र.	विकासखण्ड	पीएमश्री शाला का नाम	शाला का स्तर	कुल स्वीकृत पद (स्पेशल एजुकेटर)
1	बिल्हा	पीएमश्री शा0प्राथ0शाला रामपुर	कक्षा 01 से 5	1
2	बिल्हा	पीएमश्री शा0प्राथ0शाला अचानकपुर	कक्षा 01 से 5	1
4	बिल्हा	पीएमश्री सेजेस शा0उ0मा0वि0 सरकण्डा बिलासपुर	कक्षा 06 से 12	4
5	बिल्हा	पीएमश्री सेजेस शा0उ0मा0वि0 चकरभाठा	कक्षा 01 से 12	1
6	तखतपुर	पीएमश्री सेजेस शा0उ0मा0वि0 तखतपुर	कक्षा 01 से 12	1
कुल योग				8

आवश्यक योग्यता -

स्पेशल एजुकेटर के चयन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं-

01 पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं अंशकालिक के रूप के केवल (31मार्च 2027 तक) के लिए किया जाना है।

02 स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक विद्यालय हेतु आर0सी0आई मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में डी0एड0 और वैध सी0आर0आर0 नम्बर अनिवार्य है।

03 स्पेशल एजुकेटर हायर सेकेण्डरी हेतु आर0सी0आई मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में बी0एड0 और वैध सी0आर0आर0 नम्बर अनिवार्य है।

04 अंशकालिक स्पेशल एजुकेटर का चयन इसी शैक्षणिक सत्र (31 मार्च 2027) हेतु तक किया जाना है।

05 कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार सेवा प्रदत्त स्पेशल एजुकेटर को एकमुश्त अधिकतम मानदेय प्रतिमाह रु0 20,000.00 (रु0 बीस हजार मात्र) देय होगा।

06 अंशकालिक सेवाएं 31 मार्च 2027 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर एवं व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय राज्य कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0 के निर्देशानुसार लिया जा सकेगा। अन्यथा 31/03/2027 को अंशकालिक सेवाएं की अवधि की समाप्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।

07 अंशकालिक पद पर की गई चयन पूर्णतः अस्थायी होगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार सेवा अवधि में वृद्धि किया जा सकेगा। अंशकालिक कर्मचारी की चयन बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अन्य नियम लागू होंगे।

09 रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।

10 चयन मेरिट बेसिस पर होगा, स्पेशल एजुकटेर का चयन में कक्षा 10वीं एवं 12 वीं के प्राप्तांकों का 25-25 प्रतिशत वेटेज एवं विशेष शिक्षा में डी0एड0 / बी0एड0 का 50% वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेगा।

11 पीएमश्री विद्यालय में स्पेशल एजुकटेर के कार्य अनुभव का अधिकतम 10 अंक बोनस दिया जावेगा।

12 चयनित उम्मीदवार को कार्यदेश पत्र प्राप्ति होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

13 चयनित स्पेशल एजुकटेर किसी भी प्रकार टी0ए0/डी0ए0 या अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

14 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

15 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।

16 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।

17 कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापिस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने/चयनित/कार्यरत व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद न होने/किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन/अपील मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर के पास सुरक्षित होगा।

अन्य निर्देश:-

01 चयनित स्पेशल एजुकटेर को विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को आवश्यकता अनुरूप सतत रूप से कार्य करना होगा।

02 संस्था प्रमुख या उच्च कार्यालय से दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

03 शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

04 आवेदन पत्र में किस विद्यालय हेतु आवेदन किया गया है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन अमान्य किया जावेगा।

05 अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।

06 लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।

07 आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वितीय तल, जिला पंचायत भवन, नेहरु चौक, बिलासपुर में डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से ही आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

08 आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा।

09 आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 27/07/2026 को शाम 05:00 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वितीय तल जिला पंचायत भवन, बिलासपुर, 495001 छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए, इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे/अमान्य होंगे।


जिला मिशन समन्वयक 16.7.26
समग्र शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.)